



3694-II-16

373
25-10-16

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
प्रकरण कमांक /2016 पुनरावलोकन

जे. एच. गौड, जजि.
25-10-16

25-10-16

25/10/16
व. प्र. (स)
मेल.

1. राधारमण पटेल पुत्र स्व0 श्री रामे पटेल आयु- 66 वर्ष, व्यवसाय- खेती निवासी- ग्राम दुबगवां तहसील मऊगंज, थाना मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0
2. मनुवेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 श्री रामे पटेल आयु- 63 वर्ष, व्यवसाय- खेती निवासी- ग्राम दुबगवां तहसील मऊगंज, थाना मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0
3. सुखवेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामे पटेल आयु- 51 वर्ष, व्यवसाय- खेती निवासी- ग्राम दुबगवां तहसील मऊगंज, थाना मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0 --आवेदकगण

बनाम

1. बुद्धसेन पुत्र श्री परमेश्वर्दीन पटेल
2. लव पटेल पुत्र श्री बुद्धसेन पटेल
3. कुश पटेल पुत्र श्री बुद्धसेन पटेल
समस्त निवासीगण- ग्राम दुबगवां तहसील मऊगंज, थाना मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

W

4. आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवकांत गुप्ता निवासी- साकिन, कुन्दनपुरवा तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०
5. विवेक पटेल पुत्र श्री रामस्वरूप पटेल निवासी- ग्राम गंज, 255 पटवारी हल्का गंज-39, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०
6. अर्जुन पुत्र श्री रामस्वरूप पटेल
7. अजय पुत्र श्री रामस्वरूप पटेल निवासी- ग्राम मुकाम गंज, 255 पटवारी हल्का गंज-39, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०

--मूल अनावेदकगण

8. श्रीमती एकसिया देवी पत्नी श्री इन्द्रजीत पटेल आयु- 67 वर्ष, निवासी- मौहल्ला बरा इण्डियन्स गोदाम इलाहबाद रोड, रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
9. श्रीमती मेवा पटेल पत्नी राजनान पटेल पुत्री स्व० श्री रामे पटेल उम्र- 63 वर्ष, निवासी- ग्राम पो० दोऊरिहन तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा

10. श्रीमती कमला पटेल पत्नी श्री बुद्धसेन पटेल पुत्री स्व० श्री रामे पटेल आयु- 56 वर्ष निवासी- मौहल्ला शारदापुरम अभिषेक भवन, मकान नं० 15/2943 समान तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
11. श्रीमती विमा पत्नी श्री शेषमणि पटेल पुत्री स्व० श्री रामेपटेल उम्र- 48 वर्ष, निवासी- नोढ़िया, तहसील मऊगंज, थाना लौर, जिला रीवा, म०प्र० ---फॉर्मल अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 24/09/2016 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक आर/ 1232/II/16 व उनवान बुद्धसेन आदि बनाम राधारमण आदि।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण के पिता स्व० श्री रामहेत पुत्र श्री

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3694-दो/16

जिला -रीवा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 17.4.17 | <p>आवेदक की ओर से श्री जे0 एस0 गौड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।</p> <p>यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1232-दो/2016 आदेश दिनांक 24.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 3694-दो/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 1232-दो/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 24.09.2016 से किया जा चुका है।</p> <p>रिव्यु प्रकरण क्रमांक 3694-दो/2016 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये</p> | |

गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:-

- 1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।
- 2- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।
- 3- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों।


सदस्य

